International Journal of Applied Research 2020; 6(11): 04-07

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(11): 04-07
www.allresearchjournal.com
Received: 13-09-2020
Accepted: 17-10-2020

डा० प्रभाकर झा
सहायक प्राध्यापक, आर0बी0 जलान महाविद्यालय, बेला, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डा० प्रभाकर झा
सहायक प्राध्यापक, आर0बी0 जलान महाविद्यालय, बेला, दरभंगा, बिहार, भारत

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का योगदान

डा० प्रभाकर झा

सारांश
लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गाँव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कालेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कालेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसायटी की नहित के कार्यों में लगे रहने तथा सरकारी नौकरी न करने का निश्चय किया और अपने मित्र गोपाल गणेश आगरकर के सास्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। उन्होंने मिलकर एक अँग्रेजी स्कूल स्थापित किया। बाल गंगाधर तिलक (अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर तिलक, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतन्त्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अपहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें ''भारतीय अशान्ति के पिता'' कहते थे। उन्हें, ''लोकमान्य'' का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ हैं लोगों द्वारा स्वीकृत। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, तथा भारतीय अन्तःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। बालगंगाधर तिलक की राजनीतिक विचारधारा अन्य समकालीन विचारकों से भिन्न थी।तिलक की सजा भारतीय संघर्ष के इतिहास में अत्यधिक महत्त्व रखती है, क्योंकि इससे पहले किसी पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा नहीं चला था। अँग्रेजी सरकार की चुनौती से आत्म–विश्वास,त्याग,बलिदान और कष्ट सहन करने के नये अध्याय का श्रीगणेश हुआ।

मुख्य शब्द : लोकमान्य तिलक, भारतीय , स्वतन्त्रता संग्राम, स्वराज एवं ब्रिटिश राज ।

प्रस्तावना:
लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गाँव चिखली में हुआ था। ये आधुनिक कालेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कालेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसायटी की नहित के कार्यों में लगे रहने तथा सरकारी नौकरी न करने का निश्चय किया और अपने मित्र गोपाल गणेश आगरकर के सास्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। बालगंगाधर तिलक जब 17 वर्ष के थे उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने मिलकर एक अँग्रेजी स्कूल स्थापित किया। बाल गंगाधर तिलक (अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर तिलक, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतन्त्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अपहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें ''भारतीय अशान्ति के पिता'' कहते थे। उन्हें, ''लोकमान्य'' का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ हैं लोगों द्वारा स्वीकृत। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, तथा भारतीय अन्तःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा ''स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच'' (स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक करीबी सन्धि बनाई, जिनमें बिपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष और वी० ओ० चिदम्बरम पिल्लै शामिल थे।
तिलक का कहना था कि सबसे पहले देश को आज़ादी मिलनी चाहिए इसके बाद देशवासियों को शनैः–शनैः शिक्षित किया जाये। इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक सुधार स्वतः आ जायेगें। चाहे छुआछूत की समस्या हो, विधवा के पुनर्विवाह का प्रश्न हो, लड़कियों की शिक्षा का मसला हो, सब स्वतः सिद्ध हो जायेंगे। अतः वे किसी मैनिफ़ैस्टो (घोषण–पत्रा) पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में नहीं थे। सर रघुनाथ पुरूषोत्तम परांजपे ने उन पर आरोप लगाया था कि छूतछात की निन्दा के घोषणा–पत्र

पर हस्ताक्षर करने से तिलक ने इन्कार कर दिया था। तिलक ने सफाई दी कि 'मिस्टर परांजपे को मालूम है कि मैं जाति – भेद, छूतछात का उन्मूलन सारा दायित्व फिर मुझ पर आ जायेगा।'

एक बात और ! समाज सुधार हो या राजनीतिक आदर्श तिलक की निश्चित धारणाएँ और पक्के विश्वास थे। इस हठधर्मिता के कारण वे दूसरों के कोप–भाजन भी बन जाते थे । इस प्रसंग में पूना की एक घटना उल्लेखनीय। एक बार वे अपने सहयोगियों के साथ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पादरी रिविंगटन का भाषण सुनने जा पहुँचे। सत्कार के लिए बिस्कुट, केक, और चाय दी गयी। तिलक ने भी मिशन की चाय पी ली। अगले दिन समाचार – पत्र की सुर्खिया में इस घटना का उल्लेख था। तिलक का नाम तो उसमें था ही।

उन दिनों (19 वीं शती के अंत तक भी) ईसाई तो दरकिनार, किसी हिन्दू का अन्य जाति वाले के यहाँ खान–पान जाति – च्युति का कारण बन जाता था। तिलक का मिशनरी स्कूल में चाय ग्रहण करना कट्टरपंथियों को सह्य नहीं हुआ। वे तिलक को अपने में से एक मानते थे। धनी जमींदार सरदार नाटू कट्टर हिन्दू नेता था। उसने सार्वजनिक सभा में तिलक के निष्कासन का अनुरोध किया। तिलक भला कब चूकने वाले थे। उन्होंने हिन्दू लॉ और हिन्दू शास्त्रों का हवाला देकर उनका मुँह बन्द कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि चाय की पत्ती जल, चीनी और दूध का मिश्रण ग्रहण करना अपराध नहीं है। शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। किन्तु कुपति साथियों को शान्त करने के लिए उन्होंने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया।

तिलक ने खुलकर ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिमों का पक्ष लेती है, कि वह 'डिवाइड एंड रूल' की नीति द्वारा विभेद कायम रखना चाहती है, कि जिन नेताओं से सरकार ने अपील की है, झमेले में पड़ने का न तो उनमें साहस है न इच्छा। अतः चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम गुडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह भी कि ब्रिटिश सरकार मुस्लिमों को सन्तुष्ट करने के लिए हिन्दुओं के परम्परानिष्ठ अधिकारों को दबा रही है। उदाहरण के तौर पर बम्बई प्रेजिडेंसी में भगवान बालाजी की यात्रा हर वर्ष निकला करती थी और हिन्दू भक्त गाते–बजाते विग्रह ले जाया करते थे। मुस्लिमों ने पहले कभी आपत्ति नहीं की थी किन्तु 1893 में हिन्दुओं पर टूट पड़े। हिन्दुओं ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता माँगी 1894 में मुस्लिम फिर भी दंगा–फ़साद करते रहे। हिन्दुओं से यह भी कहा कि आइन्दा जुलूस न निकालें। तिलक ने हिन्दुओं को सलाह दी कि उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। वे हिन्दू जाति की दुर्बलता से परिचित थे। इसलिए खुद उन्हें संगठित करने का फैसला कर लिया।

तिलक ने स्पष्ट किया कि 'जिस तरह हिन्दू और मुस्लिम पार्टी है उसी तरह एक गवर्नमेंट पार्टी भी है। स्मरण रहे कि यह ट्राइएंगुलर (तीन तरफ़ा) लड़ाई है। दोनों जातियों को अपने–अपने सामाजिक और धार्मिक उत्सव, बिना किसी अड़चन के, मनाने देना चाहिए। यह ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है कि दोनों तरफ से कोई रूकावट पैदा न हो। यदि कोई हिन्दू धार्मिक झोंक में आकर गाय को बचाने के लिए मुस्लिम अहाते में चला जाये तो दंड मिलना चाहिए। उसी प्रकार जो मुस्लिम हिन्दुओं के विशेष धार्मिक उत्सव के समय गाने–बजाने पर एतराज करे उनको भी सज़ा मिलना चाहिए।'तिलक ने कहा, ''बम्बई के गवर्नर लॉड हैरिस ने हिन्दू और मुस्लिम जातियों के नेताओं से अमन चैन क़ायम रखने की अपील की है। किन्तु वे अपने मातहत अफ़सरों को सलाह देना भूल गये हैं कि इन अवसरों पर वे निष्पक्षता के काम करें।''

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

तिवारी विनोद (2005) [1] बाल गंगाधर तिलक,1893 में मुंबई और पुणे में दंगे हुए थे। लिहाजा, किसी भी दूसरे कांग्रेसी ने तिलक का साथ नहीं दिया। लेकिन तिलक ने चिंता नहीं की। वह मानते थे कि लक्ष्य पाने के लिए जीवन के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

सिनहल सचिन (2005) [2] बाल गंगाधर तिलक,तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से दो दैनिक अखबार शुरू किए, जो बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें वे अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति को लेकर अपने विचार बहुत खुलकर व्यक्त करते थे। केसरी में छपने वाले अपने लेखों की विषय–सामग्री और उनके पैनेपन की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया । इसके बावजूद वे अपनी लेखनी के जरिए भारतीय समाज को जागरुक और एकजुट करने के अभियान मुहिम में जुटे रहे।

अग्रवाल मीना (2017) [3] लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्हें 3 जुलाई 1908 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 साल के लिए बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया था. मांडले मध्य म्यांमार में है। अंग्रेजों के शासनकाल में वहां किलानुमा जेल थी लाजपत राय, सुभाष बाबू वगैरह समेत कई कैदी यहां एकांतवास में रखे गयेए पर सबसे अधिक दिनों तक तिलक को ही यहां पर रखा गया ।

अध्ययन का उद्देश्य

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का योगदान से संबंधित आलेख का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है :–

- इस अध्ययन के आधार पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का योगदान का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्त्तमान अध्ययन के आधार पर बाल गंगाधर तिलक के विचारधारा का वर्तमान समय में प्रासंगिकता का अन्वेषन किया गया है।

अध्ययन पद्धति

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्त्तमान अध्ययन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का योगदान के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत तत्कालीन पत्रा–पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

राजनीतिक यात्रा

तिलक और उनके समकालीन राजनीतिज्ञों में मौलिक मतभेद थे। भारतीय नेता पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और अपनी सभ्यता और संस्कृति में उनका विश्वास समाप्त होता जा रहा था। तिलक पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की प्रधानता को समाप्त कर लोगों को भारत के प्राचीन गौरव का अनुभव कराना चाहते थे। उस समय लोगों पर अँग्रेजी नैतिक उच्चता की भी छाप थी और इसलिए वे अँग्रेजी साम्राज्य के प्रति सहयोग की नीति अपना रहे थे। लेकिन तिलक इस अँग्रेजी नैतिक उच्चता के मोहजाल को काटना चाहते थे। अतः वे भारतीय नायकों के जीवन से लोगों को प्रेरणा देना चाहते थे, जो अँग्रेजी चिंतन प्रणाली से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हो। उन्होंने शिवाजी के औरंगजेब के साथ संघर्ष को एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष बताया और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा आरंभ की। इसी कारण अंग्रेज लेखकों ने उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है किन्तु वास्तव में उनका उद्देश्य साम्प्रदायिक नहीं था। शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र के लोगों को जागृत करना था। इसी प्रकार उन्होंने गणपति उत्सव को भी राष्ट्रीय जागृति में सहायक बनाया।गणपति

उत्सव के अवसर पर उन्हें राजनीतिक भाषणों द्वारा लोगों को राजनीतिक शिक्षा का कार्य किया।

बालगंगाधर तिलक और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में भी मौलिक मतभेद थे।वे राजनीतिक स्वाधीनता के समक्ष सामाजिक सुधारों को गौण समझते थे। वे इस बात से सहमत नहीं थे कि हमारी सामाजिक रूढिवादिता के कारण राजनीतिक पराधीनता हुई है। उन्होंने श्रीलंका, बर्मा और आयरलैण्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ सामाजिक स्वतंत्रता होते हुए भी राजनीतिक पराधीनता थी। तिलक ने किसी बाहरी संस्था या सरकार द्वारा समाज सुधार किये जाने का विरोध किया। सरकारी अधिनियमों द्वारा समाज सुधार को वे अनुचित मानते थे। इन विचारों के कारण ही अँग्रेज लेखकों ने तिलक को रूढिवादी और प्रतिक्रियावादी कहा है।किन्तु ये आरोप निराधार हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया स्पेशल कांफ्रेंस के वार्षिक अधिवेशनों में बाल विवाह के विरुद्ध प्रस्ताव रखे।तिलक ने विधवा विवाह के पक्ष में अपना प्रस्ताव रखा। तिलक का कहना था कि समाज में जो भी सुधार हो रहे हैं उनकों पहले अपने जीवन में अपनाना चाहिये। बाद में समाज पर लागू करना चाहिये। तिलक ने स्पष्ट घोषणा की कि समाज सुधार में वेदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। क्योंकि विदेशी सत्ता द्वारा अधिनियम बना देने मात्र से समाज सुधार संभव नहीं है।इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1890–91 में जब सहवास–वय विधेयक प्रस्तुत किया तो तिलक ने इस विधेयक का घोर विरोध किया।

लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश मेमराठा दर्पण व मराठी में केसरी नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किये जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने माँग की कि ब्रिटिश सरकार तुरन्त भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गयी। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चन्द्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल–बाल–पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रान्तिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रान्तिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा (अब म्यांमार) स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गये और 1916 में एनी बेसेंट जी और मुहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। हालांकि, उसकी मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज्य हेतु लड़ाई के प्रति थी, वे उसके खिलाफ थे। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे।अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद, लोकमान्य तिलक 1891 एज ऑफ कंसेन्ट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिन्दू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। कॉंग्रेस में प्रविष्ट होकर तिलक ने कॉंग्रेस के स्वरूप को ही बदलने का निश्चय किया। 1896 से ही वे कॉंग्रेस को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि वह मजबूती दिखाये। किन्तु कॉंग्रेस के कुछ नेता वैधानिक आंदोलनों तथा सविनय प्रार्थना की नीति का अवलंबन कर सरकार के प्रति नरमी दिखा रहे थे।किन्तु तिलक ने कहा, मैं जानता हूँ कि हमें अपने अधिकारों के लिए माँग करनी चाहिये, पर हमें यह अनुभव करते हुए माँग करनी चाहिये कि वह माँग अस्वीकार नहीं करी जा सके।माँग प्रस्तुत करने तथा याचना करने में बहुत बडा अंतर है।तिलक गरम–दल के नेता तथा उग्रवादी थे। उन्होंने कहा,स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वे उदारवादियों की भिक्षावृति के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृढ मान्यता थी कि स्वराज्य अपने आप नहीं आयेगा वरन् अँग्रेजों को छीनना पडेगा।अतः नरम दल और गरम दल में मतभ्द बढता गया और 1907 में सूरत के कॉंग्रेस अधिवेशन में यह मतभेद चरम बिन्दु तक पहुँच गया।अतः विवश होकर उन्हें नरम–दलीय कॉंग्रेस को छोडना पडा।

1914 में वे जेल से मुक्त होकर आये। उस समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। इस अवसर पर उन्होंने अँग्रेज सरकार से सहयोग करने को कहा।1914–15 में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने कॉंग्रेस के दोनों दलों में मेल करावाया। अप्रैल,1916 में तिलक ने एनीबेसेन्ट के सहयोग से होमरूल लीग आंदोलन चलाया। होमरूल का अर्थ अँग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना नहीं था, बल्कि अँग्रेजी साम्राज्य के अधीन स्वायत्तता प्राप्त करना था। 1919 में उन्होंने विल्सन के आत्म निर्णय के सिद्धांत के आधार पर भारत के लिए भी इसी अधिकार की माँग की। तिलक का विचार था कि कॉंग्रेस,सत्ता को चुनौती देना सीखे और स्वराज्य हासिल करने के लिए हमें कुर्बानी के लिये तैयार रहना चाहिए। किन्तु वे यह भी चाहते थे कि स्वराज्य हासिल करने के लिए लोग हिंसक बने, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके प्रभावशाली सिद्ध न होने पर हिंसात्मक तरीके अपनाने में कोई भी हानि नहीं है। 1914 में जब तिलक कारावास से मुक्त होकर आये, तब नरम–दल वाले तिलक वे उनके गरम दल का मुकाबला न कर सके । गरम दल वालों ने विवश होकर लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना की। इसी के साथ गरम कॉंग्रेस पर गरम–दल का प्रभाव स्थापित हो गया।तिलक ने कॉंग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य का विद्रोही बना दिया। तिलक ने कहा था, सामान्य लिपि राष्ट्रीय आंदोलन का एक अविभाज्य अंग है। सारे भारत में एक ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए।यदि आप किसी राष्ट्र को एक रखना चाहते हैं, तो सबके लिए एक सामान्य भाषा से बढकर कोई बडा बल नहीं है। तिलक के भाषणों में आग होती थी, क्योंकि वे सरकार की बेधडक होकर आलोचना करते थे। इसलिए अँग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा। उन्हें अँग्रेज सरकार और अपने राजनीतिक विरोधियों दोनों से लडना पडा था। कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन के बाद कुछ लोगों ने उन्हें कॉंग्रेस को तोडने वाला कहा, किन्तु इस घटना से जितना दुःख तिलक को हुआ, उतना किसी और को नहीं।

राजद्रोह के आरोप

बालगंगाधर तिलक की राजनीतिक विचारधारा अन्य समकालीन विचारकों से भिन्न थी।वे भारतीयों के लिए प्रशासन से संबंध होने का अधिकार माँगते थे, बल्कि भारत में स्वराज्य एक अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। 1897 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पडा और फिर प्लेग फैल गया।सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए बहुत ही धीमी कार्यवाही रखी। सरकार के रवैये से आतंकित होकर पूना के प्लेग कमीशनर रैण्ड(त्दक) तथा एक अन्य अँग्रेज अधिकारी आयर्स्ट की हत्या कर दी गई। अँग्रेज सरकार ने तिलक पर हिंसा भडकाने का आरोप लगाकर उन्हें 18 महीने की कडी सजा दे दी। तिलक को दी गई सजा की सर्वत्र निंदा की गई। तिलक को सजा देने से उनकी कीर्ति शिखर पर पहुँच गई।तिलक की सजा भारतीय संघर्ष के इतिहास में अत्यधिक महत्त्व रखती है, क्योंकि इससे पहले किसी पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा नहीं चला था। अँग्रेजी सरकार की चुनौती से आत्म–विश्वास,त्याग,बलिदान और कष्ट सहन करने के नये अध्याय का श्रीगणेश हुआ।

लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में ''देश का दुर्भाग्य'' नामक शीर्षक से लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों

का विरोध किया। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124–ए के अन्तर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत माण्डले (बर्मा) जेल में बन्द कर दिया गया। इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने कुछ किताबो की मांग की लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हे ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगायी थी जिसमे राजनैतिक गतिविधियां हो। लोकमान्य तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी, कारावास की पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, इस दुखद खबर की जानकारी उन्हे जेल में एक खत से प्राप्त हुई। और लोकमान्य तिलक को इस बात का बेहद अफसोस था की वे अपनी मृतक पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते।

भारतीय दंड संहिता में धारा 124–ए ब्रिटिश सरकार ने 1870 में जोड़ा था जिसके अंतर्गत ''भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था।'' 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124–ए में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153–ए जोड़ी जिसके अंतर्गत ''अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है यह विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो यह भी अपराध होगा।''बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट जी की मदद से होम रुल लीग की स्थापना की होम रूल आन्दोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धी मिली, जिस कारण उन्हें "लोकमान्य" की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। । यह कोई सत्याग्रह आन्दोलन जैसा नहीं था। इसमें चार या पांच लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी जो पूरे भारत में बड़े–बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसेंट जी जो कि आयरलैंड से भारत आई हुई थीं। उन्होंने वहां पर होमरूल लीग जैसा प्रयोग देखा था, उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। लोकमान्य तिलक ने जनजागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देशप्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया।

निष्कर्ष

सन १९१९ ई. में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिये स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गये थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधायी परिषद) के चुनाव के बहिष्कार की गान्धी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिये प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। देश में जब ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने की चर्चा चल रही थी, उस समय 1 अगस्त,1920 को इस महान् विभूति का देहांत हो गया। तिलक का नाम राष्ट्र–निर्माता के रूप में सदा अमर रहेगा और भारतवासी उन्हें तब तक कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहेंगे, जब तक देश में अपने भूतकाल पर अभिमान और भविष्य के लिए आशा बनी रहेगी।मरणोपरान्त श्रद्धाञ्जलि देते हुए गान्धी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रान्ति का जनक बतलाया।

सदर्भ स्रोत

1. विनोद तिवारी (2005) बाल गंगाधर तिलक, मनोज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 45–54।
2. सचिन सिनहल (2005) बाल गंगाधर तिलक,जेनेरिक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 23–27।
3. मीना अग्रवाल (2017)लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डायमंड बुक्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 51–55।